Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर

झंवरलाल —बनाम— स्टेट

किस्म मुकदमा :—136 एलआरए

न0 49/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08/06/18	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री सुमेरदान बीठू उपस्थित। अप्रार्थी राज्य की ओर से पेरोकारराज उपस्थित। प्रार्थी की ओर से ग्राम गीगासर स्थित प्रश्नगत भूमि से संबंधित मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति पेश की। शामिल मिसल रहे। प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर प्रार्थना—पत्र का निस्तारण किया जा सकता है। अतः प्रकरण के अंतिम निस्तारण हेतु दोनों पक्षों को सुन लिया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध का राज्य की ओर से उपस्थित पेरोकारराज कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रकरण में बहस हेतु तैयार है। बहस दोनों पक्षो की प्रकरण में सुनी गयी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। 2— सक्षेप में प्रकरण से संबंधित आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नंबर 384, 385, 386 व 388 जो ग्राम गीगासर तहसील बीकानेर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 15.86 हैक्टर बारानी द्वितीय कृषि भूमि है। पूर्व में उक्त भूमि उसके दादा टीकूराम पुत्र अमीचंद के खुद काश्त में थी, जो उनकी मृत्यु के उपरान्त उसके पिता मनसुखराम व उसके भाई पूनमराम के बहिस्सा बराबर दर्ज हुई। प्रार्थी का यह भी अभिकथन है कि उसके दादा टीकूराम व उनके परिवार की ग्राम देशनोक व गीगासर में और भी जमीनें थी, जो बंटवारा होते—होते ग्राम गीगासर के उक्त ऊपर वर्णित भूमि उसके पिता मनसुखराम के हिस्से में आयी। उसके पिता की मृत्यु वर्ष सन्	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

2003 में हो गयी और प्रार्थी व उसके दो भाई क्रमशः रामरतन व रामेश्वर तथा चार बहिनें क्रमशः राधा, सुरजी, तुलछी एवं बसंती पिसरान मनसुखराम होने से वारिस हुवे तथा इस पर काबिज चले आ रहे हैं। इस प्रकार मनसुखराम के सात वारिस हुवे जिसका प्रत्येक का 1/7 हिस्सा भूमि विवादित में निहित हुआ। प्रार्थी के भाई रामरतन व रामेश्वर व बहिन तुलछी की भी मृत्यु हो चुकी है। मृतक रामरतन का 1/7 हिस्सा उनके वारिसान पत्नि नारायणी देवी व पुत्रगण पुत्री मगनलाल जगदीश व कंचन में निहित हो गया। उधर मृतक रामेश्वर का 1/7 हिस्सा उसकी पत्नि चांदा, चार पुत्र क्रमशः मूलचंद, करणाराम, गौतम एवं गजराज तथा पुत्रियां शर्मिला, शांति, मुन्नी, दीपू एवं पूज में डिवोल्व हो गया। मनसुख की तीसरी पुत्री तुलछी की औलाद में दो पुत्र गणेश व राजू तथा तीन पुत्रियां भवरी, लक्ष्मी एवं गोमा है, जिनका 1/7 हिस्सा विवादित भूमि में है। प्रार्थी का यह कथन है कि मिसल बन्दोबस्त संवत् 2005 में विवादित भूमि साबिका खसरा नंबर 104 तादादी 62.14 बीघा उसके दादा टीकूराम के खुद काश्त में दर्ज रही, लेकिन संवत् 2016 से 2019 की जमाबंदी टीकूराम जी की वल्दियत में अपने पुत्र मनसुखराम का नाम लिख दिया, जो गलत प्रविष्टि है तथा ऐसी प्रविष्टि अमलामाल की गफलत एवं असावधानी से की गयी है जो एक लिपिकीय भूल है और इसकी दुरूस्ती करने का अधिकार लैण्ड रिकार्डस ऑफिसर होने से अदालत वाला को है। प्रार्थी ने इस आशय की दुरूस्ती कर टीकूराम पुत्र मनसुखराम के स्थान पर मनसुखराम पुत्र टीकूराम, क्योंकि मनुसखराम की भी मृत्यु हो चुकी है। अतः उसके वारिसान का नाम तमाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करने का आदेश तहसीलदार, बीकानेर को दिये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने मिसल बन्दोबस्त संवत् 2005 ग्राम देशनोक, ग्राम गीगासर की संवत् 2011 की जमाबंदी मिसल बन्दोबस्त संवत् 2050 से 2069 ग्राम देशनोक, ग्राम गीगासर मिसल बन्दोबस्त संवत् 2005, ग्राम गीगासर की संवत् 2070 से 2073 की जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल साबिका खसरा नंबर 104 के नये खसरा बनाये गये जो ग्राम गीगासर की जमाबंदी संवत् 2070

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

से 2073 के खसरे बने है, मिलान क्षेत्रफल ग्राम देशनोक की भूमियों के संबंध में इन्तकाल संख्या 93 ग्राम पंचायत केसरदेसर जाटान ने दिनांकः 08.06.61 को तस्दीक किया गया, जिसमें टीकूराम को खातेदारी अधिकार बाबत् स्वीकृत किया गया है कि प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं।

3– प्रार्थी द्वारा जो अभिलेखीय सबूत मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये है, उनके अवलोकन से दर्शित आता है कि ग्राम गीगासर तहसील बीकानेर स्थित साबिका खसरा नंबर 104 तादादी 62 बीघा 14 बिस्वा भूमि टीकूराम वल्द अमीचंद जाति ब्राहम्ण निवासी देशनोक की खुद काश्त की भूमि मिसल बन्दोबस्त संवत् 2005 में दर्ज है जो संवत् 2011 की जमाबंदी में भी यही इन्द्राज है। लेकिन सन् 1961 में इन्तकाल संख्या 93 टीकूराम के हित में खातेदारी का स्वीकृत किया गया था। उसमें टीकूराम की वल्दियत अमीचंद नहीं लिखकर उसके स्थान पर मनसुखराम दर्ज कर दी गयी तथा इस इन्तकाल का अमल संवत् 2016 से 2019 की जमाबंदी में किया गया जो गलत प्रविष्टि ही हुई। इसके पश्चात् बनने वाले तमाम राजस्व अभिलेखों में यह गलत इन्द्राज होते रहे हैं। जिसकी दुरूस्ती का यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। इस संबंध में हम धारा 136 का अवलोकन करें तो उसमें यह प्रावधित किया हुआ है कि भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें, परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।

इस कानूनी प्रावधानों को देखते हैं तो प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिले

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

स्वीकार हो जाता है, क्योंकि हितबद्ध पक्षकार राज्य सरकार है जिनकी ओर से प्रतिरक्षण करने वाले पेरोकारराज इस गलती को लिपिकीय भूलवश होना स्वीकार करते हैं।

4— परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बीकानेर को ग्राम गीगासर तहसील बीकानेर स्थित साबिका खसरा नंबर 104 तादादी 62 बीघा 14 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नंबर 384, 385, 386 व 388 तादादी 15.86 हैक्टर जो संवत् 2070 से 2073 की जमाबंदी में टीकूदास पुत्र मनसुखदास के स्थान पर मनसुखराम पुत्र टीकूराम व मनसुखराम की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान के नाम दुरूस्ती कर अभिलेखों में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा जहां—जहां टीकूराम वल्द मनसुखराम का नाम अंकित है उसे कलमजन किये जावे। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

5— आदेश आज दिनांक 08/06/18 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नानूराम सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner